Page-06 | M.A 4th Semester Gr. C (Modern India) Paper - XVI | Dr. Amol Jha 12-10-20

UNIT-3

Expansion of Railway - Part VI

1882 ई० के पश्चात् एक नया नियम पारित हुआ। इस नवीन गारंटी पद्धति के अनुसार कार्य हुआ। इसमें सरकार ने 3½% की दर से ब्याज लेकर रेल निर्माण में अपनी पूंजी लगाई। अतिरिक्त लाभ होने पर कंपनियों और सरकार के क्रमशः 40% और 60% की दर से आपस में बाँट लिया। कंपनी सरकार को 25 या 10 वर्ष के उपरान्त रेल विभाग सौंप सकती थी। रेल विभाग अब सरकार की सम्पत्ति माना गया।

20 वीं शताब्दी में रेल का विकास :- 20वीं सदी में ही रेलों का समुचित विकास भारत में हो सका। इस समय तक भारत में उद्योगों तथा व्यापार का विकास हो गया था और रेलों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई थी। उद्योग, व्यापार और यात्रियों के कारण सरकार की आमदनी बढ़ गई थी। इसलिए सरकार को भी इनके विकास से रेल विकास की प्रेरणा मिली। इस काल में रेलों की कार्यवाही तथा विकास के लिए रॉबर्टसन समिति, मैके समिति, एकवर्थ समिति, इंचकेप समिति आदि की नियुक्ति हुई और उनकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने काम करना प्रारम्भ किया। 1901 में बनी रॉबर्टसन समिति ने सुझाव दिया कि एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की जाय जो पुरानी लाइनों के विस्तार और नये लाइनों का निर्माण करे। रेलवे बोर्ड को स्थापित करने की सिफारिश की गई जिससे व्यापारिक ढंग की प्रणाली कायम करने की बात कही गयी। कंपनियों के द्वारा रेल निर्माण के लिए जो पट्टे दिये जाते हैं उन्हें भी समाप्त करने की बात कही गयी। यद्यपि सरकार ने कंपनी के सभी सुझावों को स्वीकार नहीं किया, किन्तु 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन कर दिया गया जो वाणिज्य और उद्योग विभाग के अन्तर्गत काम करने लगा। बोर्ड में एक